99

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1683–तीन/2006 – विरूद्व आदेश दिनांक 11–9–2006 पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 460/2005–06 निगरानी

छोटेलाल साहू पुत्र बटुकलाल
ग्राम विलौजी तेलियान
तहसील सिंगरोली जिला सीधी ——आवेदक

विरूद्व

मुकेश गर्ग पुत्र राजकरण गर्ग
ग्राम नवजीवन विहार, तहसील
तहसील सिंगरोली जिला सीधी ——अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री बिनोद भार्गव)
(अनावेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श
(आज दिनांक 15 – 09 –2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 460/2005–06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11–9–2006 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने ग्राम विलौजी तेलियान स्थित भूमि सर्वे कमांक 366/1 ख रकबा 0.09 है. का नक्शा तर्मीम किये जाने हेतु तहसीलदार सिंगरोली को आवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार सिंगरोली व्दारा प्रकरण कमांक 40 अ–3/2005–06 पॅजीबद्व किया तथा राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी से जॉच कराकर आदेश दि. 30–1–2006

पारित करके नक्शा तरमीम कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अपर कलेक्टर बैढ़न जिला सीधी के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर बैढ़न जिला सीधी ने प्रकरण कमांक 168/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 19-6-2006 से निगरानी स्वीकार की एंव तहसीलदार सिंगरोली का आदेश दिनांक 30-1-2006 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 460/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11-9-2006 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय हैं

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक ने ग्राम विलौजी तेलियान स्थित उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 366/1 ख रकबा 0.09 है. का नक्शा तर्मीम किये जाने हेतु तहसीलदार सिंगरोली को आवेदन प्रस्तुत किया है एंव तहसीलदार सिंगरोली ने राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी से स्थल जॉच कराकर आदेश दिनांक 30-1-2006 पारित करके नक्शा तरमीम किया है। तहसीलदार व्दारा नक्शा तरमीम कार्यवाही मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 70 सहपठित 68 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन की गई है और इन धाराओं के अंतर्गत तहसीलदार व्दारा पारित आदेश अपील योग्य है निगरानी योग्य नहीं है, जबकि अपर कलेक्टर बैढ़न जिला सीधी ने निगरानी प्रकरण प्रस्तुत होने पर निगरानी की ग्राह्यता पर विचार न करते हुये प्रकरण कमांक 168/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 19-6-2006 से निगरानी का अंतिम निराकरण करके निगरानी स्वीकार की है जबकि उनके न्यायालय में तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध निगरानी

ग्राह्य योग्य नहीं थी , जिस पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 11—9—2006 पारित करते समय ध्यान नहीं दिया है जिसके कारण अपर कलेक्टर बैढ़न व्दारा पारित आदेश दिनांक 19—6—06 एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग व्दारा पारित आदेश दिनांक 11—9—09 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है क्योंकि अपर कलेक्टर बैढ़न व्दारा आदेश दिनांक 19—6—06 से निगरानी स्वीकार करके तहसीलदार का नक्शा तरमीम वावत् पारित आदेश दिनांक 30—1—06 निरस्त कर देने से आवेदक की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हालॉकि अपर कलेक्टर बैढ़न व्दारा पारित आदेश दिनांक 19—6—06 में की गई विवेचना एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग व्दारा पारित आदेश दिनांक 11—9—09 में की गई विवेचना अनुसार तहसीलदार का नक्शा तरमीम वावत् पारित आदेश दिनांक 30—1—06 दूषित होकर नियम एंव प्रकिया के विरूद्व है जिसके कारण तहसीलदार सिंगरोली व्दारा प्रकरण कमांक 40 अ—3/ 05—06 में पारित आदेश दिनांक 30—1—2006 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा पारित आदेश दूषित होने से निरस्त किये जाते हैं तथा तहसीलदार सिंगरोली की ओर से प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वाद विचारित भूमि का स्थल निरीक्षण कराते हुये नक्शा तरमीम प्रस्ताव अधीक्षक भू अभिलेख से प्राप्त करें एंव समस्त हितबद्व पक्षकारों को सुनकर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर